भीम
BhIM
भारत इंटीग्रेशन मिशन

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, करौली

क्रमांकः– प.1(1)( )सहायता/आ.प्र./बाढ–2022/2022/2262 दिनांकः– 23.09.2022

प्रशासनिक स्वीकृति

श्रीमान् शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 1(2)आ.प्र. एवं सहा./सामान्य/2015/4406–40 जयपुर, दिनांक 09.04.2015, श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.8(2)आ.प्र.एवं सहा./बाढ/2022/9362–63 जयपुर, दिनांक 26.07.2022 तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या–23/2022–23 क्रमांक एफ 8(13)आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/22/10638–643 जयपुर, दिनांक 08.09.2022 एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 08.04.2015 एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. के अनुसार विकास अधिकारी, पंचायत समिति मण्डरायल से वर्ष 2022 में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए भवन मरम्मत राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कैमकच्छ ब्लॉक मण्डरायल हेतु कार्य के प्राप्त प्रस्ताव तथा इस हेतु गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की अभिशंषा के आधार पर तत्काल मरम्मत करवाये जाने हेतु निम्न कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है–

क्र. सं.	कार्य का विवरण	क्षतिग्रस्त विद्यालय की स्थिति	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	राशि (लाखों में)
1.	भवन मरम्मत राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कैमकच्छ ब्लॉक मण्डरायल	सम्पूर्ण	प्राथमिक विद्यालय	1.50
	कुल राशि			1.50

(अंकेन राशि रूपये एक लाख पचास हजार मात्र)

उक्त प्रशासनिक स्वीकृति निम्न लिखित शर्तो के अध्याधीन जारी की जाती है–

1. राशि का व्यय वर्ष 2022 की अतिवृष्टि/बाढ से क्षतिग्रस्त कार्य पर ही किया जावेगा तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि उक्त स्वीकृत कार्य समय पर किये जा सकने पर ही तकनीकी स्वीकृति जारी कर इस कार्यालय को भेजी जावें।
2. आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत हेतु निर्धारित दर से राशि का निर्धारण एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार किया है। अतः विकास अधिकारी, पंचायत समिति मण्डरायल उन दरों से अधिक राशि का उपयोग विद्यालय भवन की मरम्मत पर न करें।
3. **विकास अधिकारी, पंचायत समिति मण्डरायल यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावंधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ.मद की राशि का उपयोग में लिया जावेगा।**
4. कार्य आरम्भ करने से पूर्व क्षतिग्रस्त कार्यो का Geo Tag फोटो एवं प्रगतिरत कार्य का Geo Tag फोटो तथा कार्य समाप्ति का Geo Tag फोटो पूर्णताः प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायेगें।

भीम
BhIM
भारत इंटीग्रेशन मिशन

5. वे कार्य जो Defect liability period (D.L.P.) के तहत आते है उनकी मरम्मत S.D.R.F. मद से देय नही है।
6. निर्माण कार्य सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम/सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम, सी.आर.एफ. तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार करवाया जावें।
7. उक्त मद से स्वीकृत कार्य विभागीय एवं अन्य किसी योजना से नही कराया जावें, तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व ही इसे सुनिश्चित किया जावे कि इन कार्यों का व्यय किसी अन्य योजना से किसी भी परिस्थिति में लेखाकिंत नही किया जावें।
8. सम्बन्धित विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कैमकच्छ के भवन की क्षति वर्ष 2022 में अत्यधिक वर्षा/अतिवृष्टि के कारण ही हुई है, एवं कराये जाने वाले कार्य S.D.R.F. नोर्म्स के अन्तर्गत तात्कालिक/रेस्टोरेशन की परिभाषा की परिधि में आते है।
26. कार्यकारी ऐजेन्सी मरम्मत कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर मरम्मत कार्य पूर्ण कर उपयोगिता एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र मय कार्य आरम्भ करने से पूर्व, प्रगतिरत कार्य एवं कार्य समाप्ति के प्रत्येक कार्य का Geo Tag फोटो, माप पुस्तिका की प्रति एवं बिल दो प्रतियों में तैयार कर पृथक–पृथक कार्य का बिल भुगतान हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
9. अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों की मरम्मत एवं पुनरूत्थान में यह ध्यान रखा जावे कि परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत की जानी है ना कि नया निर्माण।
10. उक्त कार्य की कार्यकारी एजेन्सी विकास अधिकारी, पंचायत समिति मण्डरायल होगी।
11. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तियां ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 एवं RTPP नियम के अनुसार मान्य होगी।
12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को कार्य करने की दिनांक से अवगत कराया जायेगा।
13. कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य का प्रमाणीकरण उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण कर कार्य के भौतिक सत्यापन उपरान्त रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व प्रेषित की जावेगी कि कार्य S.D.R.F. मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है। उक्त रिपोर्ट के अभाव में भुगतान नही किया जायेगा।
14. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे S.D.R.F. मे अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
15. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत् संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
16. कार्यकारी एजेन्सी इस कार्यालय द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में, तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी कर मय Estimate Detail तथा क्षतिग्रस्त कार्य का Geo Tag फोटो के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
17. आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या–23/2022–23 दिनांक 08.09.2022 के

अनुसार विकास अधिकारी, पंचायत समिति मण्डरायल तहसील मण्डरायल के अन्तर्गत ही प्राथमिक विद्यालय भवन की मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्य करवाया जायेगा।

18. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे समस्त कार्य बजट आवंटित किये गये वर्ष में ही पूर्ण किये जाने आवश्यक हैं। तात्कालिक **Restoration** के कार्यों से सम्बन्धित देनदारियां आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान कार्यकारी संस्था द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जावेगा। आपदा के समय करवाये गये कार्यों के बिलों का सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, कार्यकारी संस्था के तकनीकी अधिकारी एवं स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि के द्वारा सत्यापन होना आवश्यक है। उक्त सत्यापन के अभाव में आपदा के दौरान करवाये गये कार्यों के भुगतान हेतु विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
19. प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त इस कार्यालय द्वारा तात्कालिक रेस्टोरेशन के कार्यो हेतु आवश्यक बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर को ऑनलाईन प्रेषित की जावेगी।
20. कार्यकारी एजेन्सी विकास अधिकारी, पंचायत समिति मण्डरायल अनुमोदित कार्यों को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में भी स्वीकृत कराना सुनिश्चित करेंगे।
21. आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर से बजट आवंटन होने पर इस कार्यालय द्वारा बजट आवंटन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
22. कार्यकारी एजेन्सी विकास अधिकारी, पंचायत समिति मण्डरायल द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। यदि वित्तीय स्वीकृति से पूर्व कार्य प्रारम्भ करा लिया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी ऐजेन्सी विकास अधिकारी, पंचायत समिति मण्डरायल की होगी।
23. उक्त समस्त शर्तों की अक्षरशः पालना किये जाने पर ही सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति जारी कर इस कार्यालय को भिजवायी जावे।
24. उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ही मान्य होगी।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
करौली

क्रमांकः– सम/2022/2263 – 2277 दिनांकः– 23.09.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि वर्षा से क्षतिग्रस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कैमकच्छ के भवन की मरम्मत हेतु उक्तानुसार 1.50 लाख रूपये मात्र का बजट आवंटन करने का श्रम करें। बजट की मांग ऑनलाईन की जा रही है।
2. श्रीमान सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर सम्भाग भरतपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, करौली।

भीम
BhIM
भारत इंटीग्रेशन मिशन

5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा करौली।
6. उपखण्ड अधिकारी, मण्डरायल।
7. कोषाधिकारी, कोषालय करौली।
8. प्रभारी अधिकारी, लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति मण्डरायल।
10. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग खण्ड करौली।
11. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, करौली।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मण्डरायल।
13. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कैमकच्छ ब्लॉक मण्डरायल।
14. अतिरिक्त निजी सचिव, जिला कलक्टर करौली।
15. रक्षित पत्रावली।

(पी. आर. मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली